

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

2023/60

बंशीधर बनाम कैलाशचन्द वगै०

मुकदमा नम्बर :- 24/2023

वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.05.2023	<p>वकील वादी रामनिवास जाट ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 20.06.23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	
20/6/23		<p>पत्रवाली आज प्रशासन गौट के संग सुमिश्रण 2023 / कम कोर्ट क्रम 61544 में पेश हुई। प्रशासन उप/अन कार्यालय का आदेशनुसार दिनांक 10/7/23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
10/7/23		<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौर/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/9/23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
11/7/23		<p>कम वादी नम्र पक्षिपत्नी के ऑफिस डेकर पत्रावली तलबी का प्रा. पत्र पेश किया। पत्रावली तलबी के अर्थात् वादी पक्ष में निवेदन किया कि प्रकरण में अपने ओर कार्यवाही नहीं जाये। वापसी सहकारि से राणीनामा हो गया। प्रा. पत्र व पत्रावली का प्रयोजन किया गया। प्रा. पत्र विद्वा स्वीकार किया जाता है। वादी की पहचान उनके पक्षि. रामलाल की ने की। पत्रावली केसल डुमर डेकर डेफ नम्र के कर ही शामिल इन्स डेफि</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	<p>कम वादी पहचान करती रामलाल (रामलाल वगै)</p>